संख्या – 27023/02/2017–स्थाप (भत्ता)
भारत सरकार
लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

ब्लॉक नं. IV, ओल्ड जे.एन.यू. कैम्पस,
नई दिल्ली, दिनांक: 24 –10–2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संसद–सहायकों को देय विशेष भत्ते की दरों में संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरू राष्ट्रपति, संसद–सत्र के दौरान संसदीय कार्य में पूरी तरह से संलग्न सहायकों और उच्च श्रेणी लिपिकों को भुगतान किए जाने वाले विशेष भत्ते की दरों क्रमशः 1500/–रूपए और 1200/– रूपए के मौजूदा स्तर में 50% बढ़ोत्तरी करते हुए क्रमशः 2250/–रूपए और 1800/–रूपए करते हैं ।

2. संशोधित वेतन ढ्रांचे में महंगाई भत्ते की दर 50% होने पर उपर्युक्त सीमा में स्वतः ही 25% की बढ़ोत्तरी हो जाएगी । इस संबंध में अलग से किसी अनुदेश की आवश्यकता नहीं होगी ।

3. यह भत्ता, प्रत्येक कैलेंडर माह, जिसमें संसद का सत्र उस माह में कम से कम 15 दिन रहता है, के लिए पूर्ण दर पर देय होगा । इससे कम अवधि वाले माह के लिए यह भत्ता पूरे माह के लिए निर्घारित दर की आधी दर पर लागू होगा ।

4. यह भत्ता, नियमित छुट्टी की अवधि के दौरान लागू रहेगा ।

5. आमतौर पर, यह भत्ता एक मंत्रालय में मात्र एक संसदीय सहायक के लिए लागू होगा । जहां कोई मंत्रालय पूर्णकालिक संसदीय ड्यूटी के लिए एक से अधिक संसदीय सहायक संलग्न करना आवश्यक समझता है, उसके लिए उसे इस मंत्रालय का पूर्व–अनुमोदन आवश्यक होगा । ऐसा अतिरिक्त कार्मिक भी उस हैसियत से उपर्युक्त विशेष भत्ते के लिए हकदार होगा । जहां इस मंत्रालय ने किसी मंत्रालय में संसदीय कार्य एक से अधिक संसदीय सहायक लगाने के लिए पहले सहमति दी हो, वहां इस मंत्रालय का फिर से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं होगी ।

6. संसद सहायकों को उस कैलेंडर माह, जिसमें संसद–सत्र रहता है, के लिए कोई समयोपरि भत्ता देय नहीं होगा ।

7. उपर संदर्भित विशेष भत्ते को "अन्य भत्तो" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा ।

8. ये आदेश दिनांक 01.07.2017 से लागू होंगे ।

नवनीत मिश्रा
(नवनीत मिश्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार

मानक सूची के अनुसार सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपिः

एनआईसी को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।